

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 22/07/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 21.07.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना नन्दगंज क्षेत्रांतर्गत दिनांक 29.12.2024 को हुए किन्नर हत्याकांड के अभियुक्त अजय राम पुत्र उपेन्द्र राम के विरुद्ध की गई रासुका की कार्यवाही ।

किन्नरों के आपसी वर्चस्व को लेकर दिनांक- 29.12.2024 को नन्दगंज कस्बा में स्थित कृष्णा यादव रेडीमेड की दुकान के अन्दर गंगा किन्नर उर्फ हर्ष उपाध्याय पुत्र गणेश उपाध्याय निवासी ग्राम बरहपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर की गोली मारकर हत्या कर देने वाले अभियुक्त गण 1.अजय राम पुत्र उपेन्द्र राम निवासी ग्राम सबुआ थाना करण्डा गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष, 2.मिथिलेश यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम हकीमपुर थाना नन्दगंज गाजीपुर उम्र करीब 18 वर्ष, 3.रानी किन्नर पुत्री रामकवल चौरसिया निवासी ग्राम पारसपुर बुढ़ानपुर थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर हालपता मुहल्ला बरहपुर थाना नन्दगंज गाजीपुर उम्र करीब 26 वर्ष 4. राहुल चौहान उर्फ किशन उर्फ सूरज पुत्र लाल बहादुर चौहान निवासी एस0 2/196, सिकरौल पोखरा, कैन्ट वाराणसी, जनपद वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष एवं 02 नफर बाल अपचारी को दिनांक- 03.01.2025 एवं दिनांक- 30.01.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

अभियुक्त गण के द्वारा किये गये कृत्यों से नन्दगंज बाजार में आम जनमानस व्यापारियों व बूढ़े एवं बच्चों भय व्याप्त हो गया था । घटना के उपरान्त मौके पर पूर्णतः शान्ति व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी थी, लोगों का अपने घरों से बाहर निकला दूभर हो गया था तथा नन्दगंज कस्बा में स्थित सभी दुकाने एवं स्कूल तथा कॉलेज पूरी तरह से प्रभावित हो गया था । पीड़ित परिवारों के द्वारा लगातार अपने जान माल का खतरा बताया जाता रहा है तथा इस सम्बन्ध में लगातार पुलिस बल के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र में निरन्तर पुलिस प्रबन्ध किया गया तथा स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासन के सहयोग से निरन्तर लोगों में कानून के प्रति विश्वास की भावना पैदा करने ,क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था व आम जनता में भय को समाप्त करने एवं सामाजिक सौहार्द को बनाये रखने हेतु थाने की पुलिस फोर्स व जनपद की पुलिस फोर्स एवं पी0एस0सी0 बल के साथ निरन्तर भ्रमणशील रहकर अथक प्रयास किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक- 20.07.2025 को अभियुक्त अजय राम पुत्र उपेन्द्र राम निवासी ग्राम सबुआ थाना करण्डा जनपद गाजीपुर का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की गई है।

02. थाना दिलदारनगर पुलिस टीम द्वारा 30 पाउच देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.07.2025 को उ0नि0 श्री बालेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर रक्सहाँ बाई पास के पास से अभियुक्त अनिल कुमार यादव के कब्जे 30 पाउच देशी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 141/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनिल कुमार यादव पुत्र हरख यादव स्थायी पता - ग्राम दुबौली, पोस्ट-दुलारपुर, थाना-गड़हनी जिला-भोजपुर बिहार व हालपता वार्ड नं0-44 गोधना रोड थाना - नवादा, आरा जिला- भोजपुर (बिहार) उम्र लगभग 30 वर्ष अपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 141/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर

बरामदगी:

30 पाउच देशी शराब

03. थाना दिलदारनगर पुलिस टीम द्वारा 25 पाउच देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 21.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 श्री हरिमाधव पाण्डेय मय हमराह द्वारा वायरलेस चौराहे से अभियुक्त पंचुराम के कब्जे 25 पाउच देशी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0सं0 142/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. पंचुराम S/O दूध नाथ ग्राम दिलदार नगर गाँव थाना- दिलदार नगर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 52 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 142/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर

बरामदगी:

25 पाउच देशी शराब

04. थाना बिरनो पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 109/2025 धारा 192(2),351(3),103 बीएनएस से संबंधित वांछित 02 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 21.07.2025 को थानाध्यक्ष बालेन्द्र कुमार मय हमराह थाना बिरनो जनपद गाजीपुर द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 109/2025 धारा 191(2),351(3),103 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1 . विरेन्द्र राम उर्फ विरेन्द्र प्रताप पुत्र भीमल राम 2. राम प्रवेश राम पुत्र भीमल राम नि0गण तियरा थाना बिरनो जनपद गाजीपुर द्वारा जमीन के बटवारे के विवाद को लेकर अपने भाई योगेन्द्र प्रसाद को जान से मारकर मडई में प्लास्टिक के रस्सी से बांस में बांधकर चारपाई के सहारे टेक लगाकर लटका कर मौके से फरार हो गये थे। जिसे आज दिनांक 21.07.25 को इनवा मोड थाना बिरनो गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

- 1 .विरेन्द्र राम उर्फ विरेन्द्र प्रताप पुत्र भीमल राम नि0 तियरा थाना बिरनो जनपद गाजीपुर।
- 2 . राम प्रवेश राम पुत्र भीमल राम नि0 तियरा थाना बिरनो जनपद गाजीपुर

**पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर**